

11.07.2024

पत्रावली पेश हुई।
अधिकृत प्राथीगण उपस्थित। अधिकृत
प्राथीगण द्वारा अपने प्राथीगण-पत्र को
जरिये नीचे प्रेषित में खारिज करने का
निवेदन किया।

अतः अधिकृत प्राथीगण के
निवेदन पर प्राथीगण-पत्र अन्तर्गत
द्वारा 212 राजस्थान कृषकरी
अधिनियम 1961 के अन्तर्गत पर जरिये
नीचे प्रेषित खारिज किया जाता है।

पत्रावली के तहत शुभा
लेफ्टर नम्बर से कृषक की जाकर
दाखिल रखा है।

सहा कलेक्टर, सांचौर
(अपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Noted
15/7